ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 166-168

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

ग्रामीण अजीविका और किसान समृद्धि की सम्भावनाएँ

राकेश कुमार वर्मा

असिस्टेंट प्रोफेसर– समाजशास्त्र विभाग, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर (उ0प्र0), भारत

Received- 28 .11. 2021, Revised- 06.12. 2021, Accepted - 10.12.2021 E-mail: rakeshkumarverma26@gmail.com

सारांशः ***"भारत गाँवों में बसता है तथा गाँव इसकी आत्मा है।"– महात्मा गाँधी भारत की आत्मा न सिर्फ गाँवों में बसती है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी ग्रामीण व्यवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ खेती की प्रधानता है और रोजगार के लिए जनमानस वृहद संख्या में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों पर निर्भर है। भारत की प्रगति तभी सम्भव है जब हमरे गाँव प्रगति के पथ पर अग्रसर हों और किसानों में खुशहाली हो। आजादी के बाद से कृषि की स्थिति को उन्नतशील बनाने तथा किसानों की दशा सुधारने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर अनेक ग्रामीण लाभकारी योजनाएँ शुरू की गई जिससे कि भारतीय गाँवों का चहुँमुखी विकास हो और कृषि एवं कृषक दोनों की स्थिति में सुधार हो जाए। पिछलें कुछ वर्षों में आत्मनिर्भरता के विविध मार्गों पर बढ़ते हुए हमारे गाँव नई करवट ले रहे है। आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो ग्रामीण भारत के पुनरूत्थान के प्रेरक प्रतिमान हमारे सामने है। 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही सरकार लगातार किसानों के लिए क्रान्तिकारी कदम उठा रही हैं और जमीनी–स्तर पर इसका असर भी दिखाई दे रहा है। किसानों के खुशहाली के लिए एवं आत्मनिर्भर कृषि के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने संसद में कृषि सुधारों से जुड़े अहम विधेयकों को पारित करवा कर लागू करने के फलस्वरूप ही वर्तमान में भारत कृषि निर्यात के मामले में पहली बार दुनिया के टॉप 10 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है।***

कुंजीभूत शब्द– अर्थव्यवस्था, ग्रामीण व्यवस्था, जनमानस, ग्रामीण लाभकारी योजनाएँ, भारतीय गाँवों का चहुँमुखी विकास।

भारत में देश की 70 प्रतिशत आबादी आज भी गांवों में निवास करती है। इसलिए एक लम्बा समय बीत जाने के बाद भी आज यह कहना बिल्कुल सटीक लगता है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गावों में बसने वाले लोग कृषि कार्यों में संलग्न किसान है। विशाल ग्रामीण आबादी–उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति और जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने की आवश्यकता ग्रामीण बुनियादी ढाँचे में सर्वांगीण विकास की मांग करती है। नीति नियन्ताओं में समावेशी विकास एवं सहकारिता नीतियों को हासिल करने के लिए इसे बहुत महत्व नहीं देते हैं। वे ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के सुधार और विस्तार के पक्षधर रहे हैं जैसे कृषि–बुनियादी ढाँचा, पेय जल और सिंचाई, सड़क और इण्टर कनेक्टिविटी, आवास, स्वच्छता, बिजली फसलों का उचित मूल्य, विक्रय, संभरण आदि।

चरों का विवरण/व्याख्या (Define Variable)– ग्रामीण आजीविका जब कोई जीवन के विभिन्न कालावधियों में जिस क्षेत्र में काम करता है या जो काम करता है, उसी कार्य को उसकी आजीविका या रोजगार या कैरियर कहते हैं दूसरों शब्दों में ऐसे कार्यों को कहते हैं जिसके द्वारा जीविकोपार्जन होता है। भारत सरकार ने 2011 में ग्रामीण गरीबों को सक्षम और प्रभावशाली बनाने के लिए 51.1 बिलियन डॉलर के बजट के साथ शुरु की गई थी और यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। यह गरीबो की आजीविका सुधारने की सबसे बड़े कदमों में से एक है। इस योजना के द्वारा इनकी आजीविका में निरन्तर वृद्धि करना, वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुँच बनाना और उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाना है। इसके लिए विश्व बैंक द्वारा 1 बिलियन डालर का आर्थिक सहायता मिलती है।

किसान संवृद्धि– देश में विकास के सात दशक बाद भी कृषि का महत्व अपनी एक अलग स्थान रखता कायम है, इसलिए कि पूरा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को कच्चा माल की आपूर्ति इसी क्षेत्र से होती है। दशकों पहले भारतीय अर्थव्यवस्था को लाइसेंस राज से मुक्ति मिल गई है, लेकिन कृषि क्षेत्र में शिथिलता बनी हुई थी। भारत की प्राकृतिक बनावट इस प्रकार है कि अधिकांश फसलें देश के किसी क्षेत्र विशेष व दूसरे हिस्सों में भी उगाई जाती है। फिर भी खाद्य तेल, दलहन और जल्द खराब होने वाले फल व सब्जियों की कमी आपूर्ति के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। कृषि की बुनियादी समस्याओं को दूर करने के लिए वर्ष 2014 के बाद सरकार ने कई कार्यक्रमों को लागू किया जिसमें उत्पादन के अतिरिक्त किसानों की आमदनी बढ़ाने के कार्यक्रमों को ज्यादा बल दिया है। मुख्य रूप से कृषि उपज की कीमत, बाजारों के एकीकरण, सुरक्षा की व्यवस्था और समावेशी विकास केन्द्रित सुधार पर विशेष बल दिया गया। वर्तमान समय में विभिन्न फसलों का एमएसपी उनकी उत्पादन लागत का डेढ़ गुना है। पिछले सात सालों में किसानों को एमएसपी भुगतान में भारी वृद्धि देखा गया है। देश में खेती योग्य जमीन कम होती जा रही है। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने सेल्फ कोटिंग तकनीक विकसित

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

कर रहे जो सब्जियों का भण्डारण अवधि को बढ़ाता है। कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रति बूंद अधिक फसल पहल ने सूक्ष्म सिंचाई माइक्रो इरिगेशन तकनीक पहलों के माध्यम से कृषि–स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने को बहुत अधिक महत्व दिया जैसे ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई, पिवोट्स और रेनगन आदि। आज देश में 713 कृषि विज्ञान केन्द्र वैज्ञानिकों, सरकार और किसानों के बीच सेतु का कार्य कर रहे हैं। जबकि कृषि अनुसंधान संस्थान/कृषि विश्वविद्यालय, शिक्षा कृषि उत्पादन बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।

उद्देश्य–

– ग्रामीण आजीविका के लिए विभिन्न योजनाओं का अध्ययन करना।
– किसानों के समृद्धि के लिए उठाये गये कदम का अध्ययन करना।
– किसान समृद्धि योजना से किसानों का आर्थिक सुधार का अध्ययन करना।

परिकल्पना–

– ग्रामीण आजीविका के लिए योजना का निर्माण हुआ।
– ग्रामीण भारत के किसानों में समृद्धि हुई।
– किसान समृद्धि होना से किसानों का आर्थिक सुधार हुआ।

अध्ययन पद्धति–

प्रस्तुत शोध–पत्र द्वितीयक डाटा संग्रह पर आधारित है जो विभिन्न जर्नल, किताबों, आर्टिकल्स, कुरुक्षेत्र पत्रिका, रिपोर्टों, प्रेसनोट आदि का प्रयोग किया गया है तथा जो उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि पर आधारित है।

उद्देश्य क्रम में व्याख्या–

1. ग्रामीण आजीविका के लिए योजनाओं का अध्ययन करना– क. सॉयल हेल्थ कार्ड योजना : यह भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वारा चलाई जा रही एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक किसान को उसके खेत की साँयल के पोषक तत्वों की स्थिति की की जानकारी देना है। ख. यूरिया बोरी की क्षमता 50 से घटाकर 45 की गई। ग. परम्परागत कृषि विकास योजना की शुरूआत– केन्द्र सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरु किया है। योजना के शुरु करने का उद्देश्य पारम्परिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक के मिश्रण से जैविक कृषि के मॉडल को विकसित करना है जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति लम्बे समय तक बनी रहे। इस योजना की शुरुआत 2015 में किया गया है। घ. एकीकृत पोषण प्रबन्धन पर जोर ड. खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र रोजगार के नए प्रकल्प। च. मनरेगा योजना जनधन, आधार और मोबाइल के प्रयोग से इस योजना में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की पूरी कोशिश की है। आज मनरेगा में 99 प्रतिशत पैसा सीधे मजदूरों के खाते में पहुँचाया जा रहा है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को मनरेगा के जरिए रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।

2. किसानों के समृद्धि के लिए उठाये गये कदम का अध्ययन करना– सरकार 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है और जमीनी स्तर पर इसका असर भी दिखाई देने लगा है अर्थात् किसानों को समृद्ध बनाने और आत्म निर्भर कृषि के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार कृषि सुधारों से जुड़े अहम विधेयकों को पारित करवा कर लागू करवा रही है। जिसके फलस्वरूप आज कृषि निर्यात के मामले में देश पहली बार दुनिया के ऊपर के 10 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित बिन्दुओं के द्वारा उठाये गये कदम पर एक नजर –

क. कृषि बाजार में सुधार– खेती किसानी आज भी जोखिम भरा व्यवसाय है। किसान कटाई उपरान्त अपनी उपज को कम मूल्य पर ही विचौलियों और व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर होते हैं। क्षेत्रीय बाजार में उपज का कम कीमत होने से आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। इस समस्या के हल हेतु ईनाम योजना शुरु की गई है जिसके द्वारा किसान अपने फसल उत्पादों को देश के किसी भी बाजार में बेच सकता है जिससे किसानों को अपने फसल का उचित मूल्य प्राप्त होगा। ख. उत्पादन लागत को कम करके मृदा में पोषक तत्वों की सही जानकारी के अभाव में किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इस समस्या के समाधान हेतु मृदा उर्वरता बनाये रखने और पैदावार बढ़ाने के लिए मिट्टी की जाँच पर विशेष बल दिया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार 'स्वस्थ धरा खेत हरा' के लक्ष्य के साथ देश के प्रत्येक किसान को 'सॉयल हेल्थ कार्ड' उपलब्ध कराने के लिए एक योजना चला रही है जिसके द्वारा मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी का पता लगा कर निदान किया जा सके। ग. कृषि वानिकी कृषि वानिकी भूमि प्रबन्धन की ऐसी पद्धति है जिसके अन्तर्गत एक ही भू–भाग पर फसलों के साथ बहुउद्देशीय पेड़ और झाड़ियों के उत्पादन के साथ में पशुपालन को भी लगातार या क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। कृषि

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-14, No.-IV, Issues-22, YEAR- Oct.-Dec.-2021

वानिकी से न केवल खाद्यान्नों, चारा, ईधन, फलों, सब्जियों व लकड़ी का उत्पादन बढ़ता है बल्कि भूमि के प्रति ईकाई क्षेत्र से होने वाली आय में भी वृद्धि होती है, जो अन्ततः जैव विविधता को बढ़ावा देने के साथ स्वच्छ वातावरण एवं मृदा संरक्षण व उसके उर्वरता में भी महत्वपूर्ण योगदान करती है।

3. किसान समृद्धि होना से किसानों के आर्थिक सुधार का अध्ययन करना–

• किसान समृद्धि योजना में खरीफ 2016 में धान एवं रबी 2016–17 में गेहू की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्राथमिक साख सहकारी समितियों के माध्यम से 200/प्रति क्विन्टल का प्रोत्साहन राशि पात्र किसानों के बैंक खाते में जमा कराई जाए।

• प्रदेश में रबी 2017–18 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना, मसूर, सरसो उत्पादित करने वाले किसानों को 10 रू0/क्विन्टल प्रोत्साहन राशि जमा कराये जाए। पंजीकृत किसान द्वारा बोनी एवं उत्पादकता के आधार उत्पादनकी पात्रता की सीमा तक 10 अप्रैल, 2018 से लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की अन्तिम तिथि तक कृषि उपज मण्डी में विक्रय पर भी 100रू0 प्रति क्विन्टल की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाए।

निष्कर्ष– उन्नत कृषि और समृद्ध कृषक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि पूरी आधारभूत संरचना को बनायी जाय एवं संचालित किया जाय। कृषि तथा ग्रामीण विकास के महत्व को ठीक से पहचाना जाय और उसी के अनुसार विभिन्न मुख्य क्षेत्रों जैसे कृषि एवं गैर कृषि रोजगार, ग्रामीण एवं कृषि बाजार सुधार, कृषि उत्पादों के लिए मूल्य प्राप्ति, ग्रामीण कनेक्टिविटी, आय, फसल, बीमा, रोजगार सृजन, सिंचाई आदि में पुनर्निवेश किया जाना चाहिए। कृषि में निवेश के नये अवसरों की घोषणा कर ग्रामीण और कृषि बुनियादी ढाँचा तैयार कर ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय की योजनाओं एवं गतिविधियों का समायोजन कर वेतन एवं रोजगार कार्यक्रमों के लिए संसाधनों का आवंटन बढ़ाकर कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को एक नया आकार देना होगा जिससे ग्रामीण आजीविका में वृद्धि की जा सकेगी तथा देश के किसान समृद्ध हो सकेंगे।

सुझाव–

• ग्रामीण आजीविका के लिए सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर से आवश्यक डाटा को अपडेट किया जाए।

• किसान समृद्धि योजना को पारदर्शी एवं जबाबदेह बनाने के लिए जिलाधिकारी को किसानों के बीच में तहसील दिवस पर फीडबैक लें।

• किसानों की आमदनी बढ़ाने वाले योजनाओं को सही समय पर पारदर्शी कार्य करने वाली संस्थाओं पर निगरानी रखी जानी चाहिए।

• अधिकांश किसान अशिक्षित हैं, उन्हें योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती है। अतः योजनाओं के प्रसार–प्रचार के लिए ग्राम विकास अधिकारियों का गाँवों में कैम्प लगाकर जानकारी प्रदान करें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. कुमार, डॉ0 वीरेन्द्र, कृषि विकास और किसानों की समृद्धि के लिए पहल।
2. त्रिपाठी, डॉ0 के0 के0, ग्रामीण आजीविका और रोजगार, कुरुक्षेत्र, मार्च 2018.
3. पाण्डेय विभव कृष्ण, ग्रामीण विकास सम्भावनाएं एवं चुनौतियाँ।
4. https://transformingindia.mygov.in/performance.dashboard/#primary
5. https:// economictimes.indiatimes.com/news/economy/ pdsbiggest. saver-for-gov-in-dbt-in2019-20/articleshow.
6. Ministry of Rural Development, Government of India.

*****